अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2021 (RCMS 2021/86) (RTI-212991425023785) श्री अमित कुमार गोल्याण पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गोल्याण, हनुमान फ्लोर मिल, पुलिस स्टेशन रोड, अनूपगढ (मो. 97833–60400) बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

26.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अमित कुमार गोल्याण उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2020 से जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति (सतर्कता), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

प्रार्थी अनूपगढ़ (वार्ड नं. 23) का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के वार्ड में एक सड़क (हनुमान फ्लोर मिल से लेकर कालू टाल तक उतर की तरफ जाने वाली सड़क) पर मोहल्ले वासियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इस सड़क का अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रार्थी अनूपगढ नगरपालिका में पत्राचार के माध्यम से जब महत्वपूर्ण सड़क से संबधित नक्शे लेने गया तो स्थानीय नगरपालिका द्वारा यह कहकर मना कर दिया कि इस गली का नक्शा हमारे रिकार्ड में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीमान जी जब मैने सूचना के अधिकार के तहत इस गली से संबधित नक्शे मांगे तब भी आज तक नगर पालिका द्वारा कोई जवाब नही दिया गया है।

मैंने नगरपालिका अनूपगढ़ पत्राचार के माध्यम से जब यह जानना चाहा कि बिना नक्शे आपने टाउन प्लानिंग कैसे कर दी और भवन मालिकों को पट्टे कैसे जारी कर दिये तो मुझे आज तक इस बाबत भी कोई सूचना नही मिली है।

मेरे द्वारा अनूपगढ नगरपालिका में भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।

नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी ने मुझे यह कहकर साफ मना कर दिया कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा हम अक्रिमण हटाने के लिए बाध्य नही है।

मैनें उप जिला कलक्टर महोदय को भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर बहुत बार अतिक्रमण हटाने संबधी पत्र भेजे है लेकिन आज तक मुझे इस बाबत कोई जवाब नही मिला है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./8225 दिनांक 30.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासरगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री अमित कुमार गोल्याण द्वारा वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अनूपगढ से संबधित है। सूचना [illegible] अधिकार आवदेन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से [illegible] किया जाना प्रचलन में न होने के कारण आवेदक श्री अमित कुमार के मूल आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6(3) के तहम संबधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित नही किया जा सका। श्रीमान् जी से निवेदन है कि भविष्य में आनलाईन पोर्टल को नियमित रूप से खोला जाकर प्राप्त आरटीआई आवेदनो का नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित किया जावेगा।

फलतः उक्त के क्रम में अपीलार्थी श्री अमित कुमार की अपील स्वीकार की जाकर संबधित राज्य लोक सूचना अधिकारी(अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ) को सूचना प्रदत किये जाने बाबत आदेशित करने का श्रम करने की कृपा करावे।

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
अनूपगढ

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ से है और नगरपालिका, अनूपगढ के विरूद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को नही है इसलिए अपीलार्थी को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रथम अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परन्तु **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ ने अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र [illegible] समयावधि में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी का [illegible] और न ही अपीलार्थी को इसके सम्बन्ध में कोई [illegible] है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2020 की सूचनाओं का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, अनूपगढ से है इस संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) अवलोकनीय है :

6(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है–

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उसे अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा :

- **परन्तु यह कि इस उप धारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

चूंकि सूचना का अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ से है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को इस सूचना के सम्बन्धित विभाग को 5 दिवस के भीतर अंतरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और ऐसा अंतरण 5 दिवस पश्चात नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त सूचना से सम्बन्धित संधारित अभिलेख को उपखण्ड अधिकारी को सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से मंगवाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना चाहिए था। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2020 में अंकित वांछित सूचना देय है तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। इसके साथ साथ **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से भी आवेदक द्वारा उक्त वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ से निर्णय प्राप्ति के सात (7) दिवस भीतर भीतर प्राप्त कर आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध करवायें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर